an>

Title: Need to provide compensation and employment to the people whose lands have been acquired by Bokaro Limestone of the Bokaro Steel Plant.

श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला (खजुराहो): सभापति महोदय, बोकारो स्टील प्लान्ट कोटेश्वर माइन्स जो मेरे लोक सभा के कटनी जिले के अंतर्गत आती है, मैं उससे संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 1978 में बोकारो स्टील प्लान्ट ने कटनी जिले में एक डोलोमाइट की खदान प्रारम्भ की। जिसमें पांच गांवों के 150 किसानों की जमीन इस शर्त पर ली गई थी कि प्रत्येक परिवार के एक बच्चे को वह नौकरी देंगे और भूमि का मुआवजा देंगे। इस सदन को बताते हुए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आज 32 वर्ष हो गये हैं और जो खदान की जमीन है, जहां बोकारो की खदान चल रही है, वह जमीन आज भी किसानों के नाम है और बोकारो का काम वहां निरंतर काम चालू है और वहां से माल भी भेजा जा रहा है। लेकिन उस जमीन का मुआवजा आज भी किसानों को नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में 32 सालों से किसानों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है।

महोदय, मैं इस विषय को सिर्फ इसलिए उठाना चाह रहा हूं क्योंकि इसमें इन्होंने नौकरी देने का जो लिखित वायदा किया था, उसमें से सिर्फ 20 किसानों के परिवांर के बच्चों को नौकरियां मिली हैं, बाकी किसानों को अभी नौकरी नहीं मिली है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि बोकारो स्टील प्लान्ट की कोटेश्वर माइन्न में जिन किसानों की जमीनें ली गई हैं, उन जमीनों का मुआवजा उन्हें तत्काल दिलाया जाए और जो नौकरी देने का वायदा बोकारो स्टील प्लान्ट ने किया था, उन 150 परिवारों में से प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलाई जाए। धन्यवाद।